"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275] रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 जुलाई 2016—आषाढ़ 20, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-7/2012/1-7 .— दिनांक 28-29 जून, 2012 को जिला बीजापुर के ग्राम सिलगेर और जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के ग्राम सारकेगुड़ा एवं चिमलीपेंटा में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की घटनाओं की न्यायिक जांच के लिये, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-07-2012 द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री व्ही. के. अग्रवाल, एकल सदस्यीय विशेष जांच आयोग गठित किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-10-2012, दिनांक 21-01-2013, दिनांक 03-07-2013, 20-01-2014, 10-07-2014, 08-01-2015, 27-06-2015 तथा दिनांक 07-01-2016 द्वारा आयोग के कार्यकाल में समयवृद्धि की गई है, जो दिनांक 11-07-2016 को समाप्त हो रही है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अत: जांच आयोग के प्रस्तावानुसार राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 12-07-2016 से दिनांक 11-01-2017 तक 06 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.